न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

फर्द अहकाम

23/2/24

मु0न0:– 150/2021

उनवान:– मीना देवी बनाम जगमोहन वगै0

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष वकील उपस्थित, उभयपक्ष वकील की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। सायलान वकील ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात मे सायला न0 1 के पिता तथा सायलान न0 2 ता 4 के पिता जो कि गैरसायल न0 1 हिस्सा 1/3 के तथा सायला न0 1 की सास एवं सायलान न0 2 ता 4 की दादी 1/3 के तथा शेष 1/3 हिससे का गैरसायल न0 2 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। गैरसायल न0 1 नशे का आदी है जो शराब व स्मैक का नशा करता है और नशे की हालत मे अपनी पत्नि व बच्चो की मारपीट कर नशे के लिए रूपयो की मांग करता है। मना करने पर वर्णित आराजीयात को बेचने की धमकी देता है। अगर गैरसायल न0 1 ने वर्णित आराजीयात का बेचान कर दिया तो हमारा पालन पोषण का जरिया ही खत्म हो जायेगा। सायला न0 1 की सास व सायलान न0 2 ता 4 की दादी का स्वर्गवास हो चुका है। जिसके वारिसान सायला व गैरसायल न0 1 है अगर गैरसायल न0 1 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति होना अंसभव है। इसलिये न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.07.2021 को ता दावा फैसला कनफर्म किया जाकर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

गैरसायल न0 1 व 2 के वकीलो ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये कथन किया कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीया तमे गैरसायल न0 1 ने अपने 1/3 हिस्से की आराजी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15.06.2021 से गैरसायल न0 2 के ह कमे बेचान कर मौके पर कब्जा करा दिया है। इस प्रकार गैरसायल न0 1 के 1/3 हिस्से का गैरसायल न0 2 खातेदार है जिससे सायलान का किसी प्रकार का कोई संबध नही है। गैरसायल न0 1 ने घर की आवश्कताओ की पूर्ति हेतु वर्णित आराजीयात का बेचान गैरसायल न0 2 के हक मे किया गया है। जिसकी जानकारी सायलान को बखूबी है। फिर भी सायलान ने बदयान्ति पूर्वक दीगर व्यक्तियो के बहकावे मे आकर यह प्रार्थना पत्र गलत व झूठे तथ्यो के आधार पर पेश किया है। सायलान कभी वर्णित आराजीया तमे खातेदार दर्ज रिकार्ड नही रहे है। और नाही सायलान ने वादपत्र मे खातेदारी की घोषणा बावत कोई तथ्य ही दर्ज किये है। अतः न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 06.07.2021 को खारिज फरमाते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी 2076–79 की खाता संख्या 238 मे कुल किता 6 कुल रकबा 1.05 है0 मे गैरसायल न0 1 जगमोहन पुत्र भगवत हिस्सा 1/3, जगदीश पुत्र भगवत हिस्सा 1/3, सम्पति पत्नि भगवत हिस्सा 1/3 खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी वकील ने वर्णित आराजीयात स्वंय की कय किये जाने का कोई दस्तावेज पेश नही किया है पत्रावली मे शामिल जमाबन्दी अनुसार गैरसायल न0 1 को वर्णित आराजीयात अपने पिता भगवत से विरासत मे प्राप्त हुई। जिसमे उसके वारिसान का नोशनल शेयर पर हक प्राप्त करने के अधिकारी है। इसलिये प्रार्थीगण के पक्ष मे अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की गई, तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी। इसलिये प्रार्थना पत्र की आकस्मिकता को देखते हुए सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक:–06.07.2021 को जारी की गई अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ता दावा फैसला तक कन्फर्म किया जाता है। अर्थात गैरसायल न0 1,3,4 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से [illegible] ग्राम महस्वा की आराजीयात ख0न0 1093/0.50, 1165/0.10, 5525/0.0[illegible] 695[illegible] 5696/0. 05, 6908/0.30 कुल किता 6 कुल रकबा 1.05 है0 [illegible] यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैशल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(सुनीता मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:42:51 IST
Reason: SelfAttested